संख्या-04/2018/07आयोग/26-3-2018-14आयोग/17

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी 2018

विषयः- श्री चन्दन कुमार की वर्ष 2013-14 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत जारी वित्तीय स्वीकृति से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-301/10/ज.जा.वि./आयोग-छात्रवृत्ति/2017-18 दिनांक-12.12.2017 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देश दिनांक-30.05.2017 के अनुपालन में याची छात्र श्री चन्दन कुमार की वर्ष 2013-14 की अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-90,200/- (रूपये नब्बे हजार दो सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान संख्या-81 के योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ.संख्या-04/2018/07आयोग(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in